महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

रू.वि. / सम्ब. / 2020 / 3747-50 दिनांक : 04.01.2021

अनुस्मारक / समयबद्ध / अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालय (जिला–मुरादाबाद),
सम्बद्ध रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय : मुरादाबाद जनपद में महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा अपने कॉलेजों में नियुक्त प्रवक्ताओं को अप्रैल 2020 से वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक ई–6120 / 15–जी०एस० / 2020(मिस–IV) दिनांक 20.10.2020 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या रू.वि. / सम्ब. / 1631–33 दिनांक 07.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आपके महाविद्यालय में नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना एवं अभिलेख तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी है। जिससे विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर आख्या राज्यपाल सचिवालय को नहीं उपलब्ध करायी जा सकी। जिस पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपने पत्रांक ई–7857 / 15–जी०एस० / 2020(मिस–IV) दिनांक 15.12.2020 के माध्यम से अप्रसन्नता प्रकट करते हुये प्रश्नगत प्रकरण पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश पुनः प्राप्त हुये हैं।

वाँछित सूचना हेतु प्रारूप –

क्रम सं	महाविद्यालय का कोड	शिक्षक का नाम	पाठ्यक्रम / विषय का नाम	अनुमोदन तिथि	नियुक्ति तिथि	प्रतिमाह देय वेतन

1. अनुमोदन पत्र की प्रमाणित छायाप्रति
2. नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र / शपथ पत्र फोटो सहित
3. प्राचार्य / प्रवक्ताओं को प्रत्येक माह के वेतन भुगतान बैंक खाते की अन्तिम छः माह की प्रमाणित छायाप्रति

अतः उपर्युक्त सूचना (इस पत्र को संदर्भित करते हुये) एवं अभिलेख तत्काल सॉफ्टकॉपी में **e-mail ID : registrarmjpru@gmail.com** पर तथा हार्डकॉपी कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे उपर्युक्त विषयक प्रश्नगत प्रकरण पर आख्या राज्यपाल सचिवालय को निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जा सके। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. वैबसाइट प्रभारी।
2. निजी सचिव–कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

कुलसचिव